गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक 4871 /स्था./प्रशा./2006 बिलासपुर, दिनांक 29.03.06

आदेश

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आपातिक बैठक दिनांक 22.10.2005 के विषय क्रमांक–1 में लिये गये निर्णयानुसार **श्री अवधेश दलपति (अनारक्षित)** के द्वारा प्रौद्योगिकी संस्थान में **इंडस्ट्रियल एण्ड प्रोडक्शन विभाग में उपाचार्य** के पद पर निर्धारित तिथि **दिनांक 19.02.2006** तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 18.03.2006 के विषय क्रमांक–8 में लिये गये निर्णयानुसार निम्न शर्तों पर विश्वविद्यालय की स्व–वित्तीय योजनान्तर्गत संचालित प्रौद्योगिकी संस्थान के **इंडस्ट्रियल एण्ड प्रोडक्शन विभाग** की प्रतीक्षा सूची में एक मात्र अभ्यर्थी **श्री सी.पी. देवांगन (अनारक्षित)** को छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा पर वेतनमान रूपये **12000–420–18300/–** में **उपाचार्य** के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षावधि पर नियुक्त किया जाता है।

यदि परिवीक्षावधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को उनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है।

इनकी सेवायें चालचलन संबंधी जॉच उपयुक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वैध होगी।

दिनांक 03.04.2006 तक पद का कार्यभार ग्रहण किया जाना चाहिये, अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। सेवा शर्ते विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिनियम 31 एवं अध्यादेश–4 के अंतर्गत संचालित होगी।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य है।

इनका वेतन मूलभूत नियमों के अन्तर्गत निर्धारित होगा तथा इन्हें उक्त वेतनमान में समय–समय पर दिये जाने वाले भत्ते देय होंगे।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्रमांक 4872/स्था./प्रशा./2006 बिलासपुर, दिनांक 29.03.06

प्रतिलिपि :–

01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
02. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
04. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
05. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.भवन, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)।
06. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पेंशन प्रकोष्ठ, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, छ.ग.शासन, रायपुर (छ.ग.)।
07. निदेशक, प्रौद्योगिकी संस्थान, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
08. वित्ताधिकारी/सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. **श्री सी.पी. देवांगन,** को इस निर्देश के साथ कि वे **दिनांक** 03.04.2006 तक आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, आयु, पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा इकरारनामा भी कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
10. निजी नस्ती।

उप–कुलसचिव (प्रशा.)